श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 13.01.2012 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न राजस्व समन्वय समिति की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- यथा पंजी।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित जिला के सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि गत् स्वाधीनता दिवस समारोह की भाँति गणतंत्र दिवस भी महादलित टोलों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जिसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भेजा जा रहा है।

1. लोकसेवा का अधिकार अधिनियम :-

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत् बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में सुधार परिलक्षित हुआ है। सभी अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि दाखिल खारीज के मामलों का निष्पादन निर्धारित समयावधि के अन्दर ही किया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर से पूछने पर बताया गया कि वर्तमान माह में अंचल कार्यालय असरगंज में सुधार हुआ है।

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि जमालपुर, सदर, धरहरा एवं तारापुर अंचल में भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की स्थिति अत्यन्त क्षीण है। संबंधित अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि अगली बैठक के पूर्व निष्पादन की प्रतिशतता में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे अन्यथा कार्य की शिथिलता हेतु विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

समीक्षा के कम में परिलक्षित हुआ कि वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति अधिकांश अंचलों में अच्छी नहीं है अर्थात् आवेदनों का निष्पादन समयावधि के अन्दर नहीं किया जा रहा है। इसके लिए सभी अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्य में प्रगति लायें एवं समय सीमा के अन्दर निष्पादन की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे।

2. भू अभिलेख कम्प्युटराईजेशन :-

गत् बैठक में जिला के सदर, जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर, टेटियाबम्बर, संग्रामपुर के अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि उनसे संबंधित राजस्व ग्रामों का भू अभिलेखों के कम्प्युटरीकरण का प्रिंट आउट निकाल कर शुद्ध करते हुए प्रिंट आउट जिला राजस्व कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे परन्तु अभी तक प्रिंट आउट की प्रति विभागीय निदेश के आलोक में शुद्ध कर राजस्व शाखा में नहीं भेजा गया है। कुछ अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रिंट आउट की प्रति कार्यालय में नहीं मिलने के कारण विलम्ब हो रहा है। इस निमित्त निदेश दिया गया कि हार्ड कॉपी से प्रिंट आउट निकालकर शुद्धता की जॉच कर प्रिंट आउट की प्रति अविलम्ब कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

आई0 टी0 प्रबंधक/उपसमाहर्त्ता प्रभारी जिला राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि गत बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में वेल्ट्रॉन से प्राप्त कम्प्युटर उपकरण एवं सामग्रियॉ खड़गपुर एवं टेटियाबम्बर से संबंधित खड़गपुर अनुमंडल में एवं तारापुर असरगंज एवं संग्रामपुर अंचल का डाटा सेंटर तारापुर अनुमंडल कार्यालय में अधिष्ठापित कर दिया गया है। सदर अनुमंडल के अन्तर्गत जमालपुर, धरहरा एवं बरियारपुर अंचल के लिए नवनिर्मित भवन सूचना केन्द्र में अधिष्ठापित करने की कार्रवाई की जा रही है। अंचल अधिकारी सदर द्वारा बताया गया कि आधुनिक अभिलेखागार भवन/डाटा इंट्री हेतु भवन निर्माण कर विद्युत वायरिंग का कार्य भी पूरा हो गया है। सभी अंचल अधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेशानुसार चालू खतियान के आधार पर डाटा इंट्री का कार्य प्रारंभ कराया जाय।

3. केन्द्र प्रायोजित योजना :-

NLRMP योजना के तहत जिन 5 अचलों यथा- सदर, धरहरा, खड़गपुर, तारापुर एवं संग्रामपुर में डाटा केन्द्र-सह-आधुनिक अभिलेखागार भवन के निर्माण किया जाना है जिसके संबंध में अंचल अधिकारी, सदर द्वारा बताया गया कि सदर अंचल में निर्माण कार्य पूरा हो गया है, सिर्फ कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल से हस्तगत होना शेष है। संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने अनुश्रवण में जल्द से जल्द कार्य निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए हस्तगत की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

4. भू-लगान :-

भू-लगान से संबंधित प्रतिवेदनानुसार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी अंचल अधिकारियों द्वारा लगान वसूली विभागीय निदेश के अनुकुल की गयी है जो अंचलवार निम्नवत् है-

क्रमांक	अंचल का नाम	वसूल की गयी राशि
1	सदर	574021.00 रूपये
2	जमालपुर	295920.00 रूपये
3	बरियारपुर	270937.00 रूपये
4	धरहरा	363135.00 रूपये
5	ह0 खड़गपुर	571666.00 रूपये
6	टेटियाबंबर	262714.00 रूपये
7	तरापुर	396689.00 रूपये
8	टसरगंज	213870.00 रूपये

इस तरह जिले में माह दिसम्बर तक कुल 3149028.00 रूपये की वसूली हुई।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक भी अंचल अधिकारी द्वारा भू लगान की राशि कोषागार में जमा नहीं की गयी है। इस निमित्त सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि भू लगान से संबंधित वसूल की गयी राशि यथाशीघ्र जिला कोषागार में जमा कराते हुए जिला राजस्व कार्यालय को ससूचित करें।

5. दाखिल खारिज

दाखिल खारिज से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह दिसम्बर में सदर अंचल में 1659, जमालपुर में 1037, धरहरा में 550, बरियारपुर में 1219, ह0 खड़गपुर में 1262, टेटियाबम्बर में 379, तारापुर में 888, असरगंज में 889 एवं संग्रामपुर में 589 वादों का निष्पादन हुआ है। माह दिसम्बर तक जिला में कुल लम्बित 895 वाद हैं। संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित समयावधि के अन्दर निष्पादित कर दिया जायेगा।

6. सैरात :-

सैरात वसूली से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह दिसम्बर 2011 तक कुल 1563361/- रूपये की वसूली हुई है। गत् बैठक में संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि सैरातों के बड़े बकायेदारों द्वारा सन्निहित राशि नहीं दिये जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर करेंगे, परन्तु किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर करने से संबंधित प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है जो विभागीय निदेश का स्पष्टतः उल्लंघन है। अतः अपर समाहर्त्ता, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि आगामी मासिक समीक्षा बैठक के पूर्व किसी अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

उपसमाहर्त्ता प्रभारी माल सेस शाखा को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बन्दोबस्त होने वाले सैरात तारापुर सरकारी हाट, बरियारपुर कृषि बाजार हाट, दरियापुर हाट ह0 खड़गपुर एवं श्रावणी मेला कुमरसार का बन्दोबस्ती करने की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाय।

7. खेसरा पंजी :-

गत् बैठक में खेसरा पंजी विहित प्रपत्र में तैयार करने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया था। जिला अवर निबंधक द्वारा बताया गया कि पूर्व में प्रेषित खेसरा पंजी का प्रपत्र में कुछ बदलाव हुआ है जिसे जल्द ही सभी अंचल अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

8. अभिधारी खाता पुस्तिका :-

अभिधारी खाता पुस्तिका से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी अंचल में प्रगति शून्य प्रतिवेदित है। यह काफी आश्चर्यजनक स्थिति है कि पूर्व सम्पन्न बैठकों में अभिधारी खाता पुस्तिका हेतु प्रदत्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अपर समाहर्त्ता, मुंगेर अपने अनुश्रवण में इसकी शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जन हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

9. स्थापना :-

गत् बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया था कि माह जनवरी तक अपने-अपने कार्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही अचंल स्तर पर पूर्व से रखे संचिकाओं में महत्वपूर्ण कागजातों का भी, जो लाल कपड़े में गठरी के रूप में बाँध कर रखा गया है, उसका भी भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे। खासकार भूतपूर्व जमींदारों द्वारा दिये गये जमींदारी रिटर्न एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन अत्यावश्यक है, परन्तु अभी तक किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा कृत निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त नहीं होना कार्य के प्रति अरूचि, लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है जो विभागीय निदेश के प्रतिकूल है। अतएव यह स्पष्त रूप से निदेश दिया जाता है कि बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन अवश्य किया जाय अन्यथा इस तरह के कृत्य के लिए विभाग को संसूचित कर दिया जाएगा।

10. सम्पर्क सड़क :-

सम्पर्क सड़क योजना की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आवंटन प्राप्त हो चुका है एवं कुल 5 (पॉच) सम्पर्क सड़क हेतु भूमि अधिग्रहण करना है जिसमें अंचल अधिकारी संग्रामपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राप्त है जो अपूर्ण है। अतः अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रस्ताव में त्रुटि निराकरण कर उपलब्ध कराया जाय। साथ ही अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करायेंगे।

11. लोक भू-अतिक्रमण :-

लोक भू-अतिक्रमण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी भी अंचल अधिकारी द्वारा एक भी मामले का निष्पादन नहीं किया गया है। गत बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया था कि सरकारी भूमि का अतिक्रमण हटाने का दायित्व अंचल अधिकारियों का ही है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को निदेशित किया गया कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के खाली पड़े भूमि पर जो अतिक्रमण है, उसे अविलम्ब अतिक्रमणमुक्त करायें। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया

कि सार्वजनिक भूमि/स्थलों पर भविष्य में किसी प्रकार की अनाधिकृत संरचना का निर्माण अथवा कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं हो। इसके लिए प्रत्येक पदाधिकारी द्वारा सार्वजनिक स्थल के नये अतिक्रमण एवं पूर्व से प्रतिवेदित अनाधिकृत संरचनाओं की अद्यतन स्थिति के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रत्येक माह में देना सुनिश्चित करें।

12. महादलित :-

महादलित परिवारों के लिए महादलित विकास योजनान्तर्गत पूर्व से सर्वेक्षित कुल 3543 परिवारों में से गैरमजरूआ आम/खास भूमि से कुल 1762 वास रहित परिवारों, 1587 परिवारों को वासगीत पर्चा के तहत एवं 87 वासरहित परिवारों को क्रय नीति के तहत जमीन खरीद कर आच्छादित कर दिया गया है। विभाग से पुनः छूटे हुए महादलित परिवार को पुनः सर्वेक्षण करने का निदेश है। अंचल अधिकारी खड़गपुर द्वारा बताया गया कि 81 महादलित वासरहित परिवार सिंचाई विभाग के नहर के जमीन पर बसे हुए हैं। निदेश दिया गया कि जो भूधारी जमीन अपना रैयती जमीन बेचना चाहते हैं उनसे सम्पर्क कर क्रयनीति के तहत भूमि खरीद कर आच्छादित करने की कार्रवाई की जाय।

अन्त में, धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह० 23/01/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 46 /रा0, दिनांक 24/01/2012

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी/ सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 23/01/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 46 /रा0, दिनांक 24/01/2012

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना/निदेशक, भू अभिलेख एवं परिमाप बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 23/01/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।